(2.2) (8)

महिमा,
अनु सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 21 जनवरी, 2014

विषयः– वित्तीय वर्ष 2013–14 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 31 कार्यो की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0/कु0क्षे0, लो0नि0वि0, पौडी/अल्मोडा द्वारा संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 31 कार्यो के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 145.20 किमी0 + 03 सेतु तथा लागत ₹ 1201.34 लाख है, पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत **₹ 1200.74** लाख (₹ बारह करोड चौहत्तर लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में संलग्नक के कॉलम सं0–5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 31 कार्य हेतु ₹ 3.10 लाख (₹ तीन लाख दस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायगा तदोपरान्त शासनादेश, सं0:–1764/ III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध मे यथावश्यक व्यय अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सडकें– आयोजनागत–800–अन्य व्यय–05–सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण –00–24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय–व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

Assistant Engineer
Const. Division P.W.D.
Ranikhet

P.T.O.

स्वीकृत किये जा रहे कार्यो की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का ...

वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2014 तक सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष मे अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय सगत में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यो में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाईन / मानक, पूर्ण रूप अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते तदनुसार कार्यवाही की जाय।

) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान 0-22-लेखाषीर्शक-5054 सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सडकें -आयोजनागत 800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

) **यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 704 / XXVII/(2)/2013 दि0: 13 जनवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।**

संलग्नक - यथोपरि।

भवदीय,
(महिमा)
अनु सचिव

संख्या:- (1) / III(2) / 14-46(प्रा0आ0) / 2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल / कुमायूँ मण्डल, पौडी / नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल / कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौडी / अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2 / वित्त नियोजन प्रकोष्ठ / राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(महिमा)
अनु सचिव

कार्यालय
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

दि0 - 24.01.2014

Assistant Engineer
Const. Division P.W.D.
Ranikhet

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

शासनादेश संख्या 333/III(2)/14–46(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 21 जनवरी 2014 का संलग्नक

2	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकासखण्ड डुण्डा के अन्तर्गत धरासू–नालूपानी के वैकल्पिक मार्ग हेतु तमियारी मोटर मार्ग के सराली बैण्ड से नालूपानी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण (60 मी0 स्पान सेतु सहित)।	4.00 + 01	73.14 (₹ 27.60 + ₹ 45.54 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
13	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड के अन्तर्गत खलरी से गडवालगाड मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	10.00	95.74 (₹ 58.50 + ₹ 37.24 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
14	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड के अन्तर्गत चिन्यालीसौड-जोगथ मोटर मार्ग से पुजारगांव भडेश्वर मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.00	15.23 (₹ 11.70 + ₹ 3.53 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
15	**मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–373/2012 के अन्तर्गत** जनपद अल्मोड़ा में विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के विकासखण्ड चौखुटिया के अन्तर्गत कुनीगाड़ हिरूली बाजार मोटर मार्ग का रामपुर चौखुटिया तक विस्तार (रामपुर कुनीगाड़ मोटर मार्ग का विस्तार) का कार्य।	2.00	18.90 (₹ 11.70 + ₹ 7.20 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
16	जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र रानीखेत में बिल्लेख–चापड–हिड़ाम मोटर मार्ग के कि0मी0 15 से ग्राम बरोड़ी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	3.00	27.63 (₹ 17.55 + ₹ 10.08 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
17	जनपद चमोली में विधान सभा क्षेत्र थराली में मींग बैनोली मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	7.00	40.95	0.10
18	जनपद चमोली में विधान सभा क्षेत्र थराली में कुलसारी–नेल–ढालू मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	8.00	48.60	0.10
19	जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र गदरपुर के अन्तर्गत ग्राम मसीत से धीमरखेड़ा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	2.20	4.18	0.10
20	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत सतपुली–चमोलीसैंण–पाटली–कोटली–नैणी मोटर मार्ग से ग्राम–सीला मल्ल व खण्डोखाली तक मोटर मार्ग के नव निर्माण।	2.00	15.28 (₹ 11.70 + ₹ 3.58 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
21	जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत नैनी मोटर मार्ग से ग्राम बजेला–तापनी मोटर मार्ग का पुल सहित निर्माण।	8.00 + 24mt	62.97 (₹ 48.48 + ₹ 14.49 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
22	जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत धौलादेवी–चिल मोटर मार्ग से सिधिन्यामल्ला–तड़कोट –गुंणादित्य मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	7.00 + 24 mt	55.30 (₹ 42.63 + ₹ 12.67 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
23	जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत दन्या–आरासलफड मोटर मार्ग के मेलगांव मोटर मार्ग से फाराखोली–मल्ली मयोली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	4.00	30.64 (₹ 23.40 + ₹ 7.24 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
24	जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत काफलीखान–भनोली मोटर मार्ग में झालाडूंगरा से कूरी–बयाली–स्वाड़ी–पाली से जमाड मुख्य मार्ग तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	10.00	76.61 (₹ 58.50 + ₹ 18.11 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10

True copy

Assistant Engineer
Const. Div. P.W.D.
Ranikhet